रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II— Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2019/भाद्र 25, 1941
No. 536] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2019/BHADRA 25, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2019

सा.का.नि. 659(अ.)—केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी अभिदाय (विनियमन), नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन), नियम, 2011 में, —

(i) नियम 6क में, "पच्चीस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपये" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) नियम 7 के, उप-नियम (4) में, "साठ दिनों" शब्दों के स्थान पर, "एक महीने" शब्दों को रखा जाएगा;

(iii) नियम 9 के, उप-नियम (1) के, खंड (क) में, —

(क) "एफसी-3क" अक्षरों और अंक के पश्चात्, "इन नियमों से संलग्न प्रपत्र 'कक' में प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य द्वारा दिए गए शपथ-पत्र के साथ" शब्दों और अक्षरों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) “एफसी-3ख” अक्षरों और अंक के पश्चात्, “इन नियमों से संलग्न प्रपत्र ‘कक’ में प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य द्वारा दिए गए शपथ-पत्र के साथ” शब्दों और अक्षरों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iv) नियम 12 के, उप-नियम (2) में, “एफसी-3ग” अक्षरों और अंक के पश्चात्, “इन नियमों से संलग्न प्रपत्र ‘कक’ में प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य द्वारा दिए गए शपथ-पत्र के साथ” शब्दों और अक्षरों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(v) फॉर्म एफसी-3क में, ‘घोषणा और वचनबद्धता’ शीर्षक के अधीन, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12 की उप-धारा (4) में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्यपदधारी और सदस्य द्वारा प्रपत्र ‘कक’ में दिया गया शपथ-पत्र इस आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया गया है।”;

(vi) फॉर्म एफसी-3ख में, ‘घोषणा और वचनबद्धता’ शीर्षक के अधीन, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12 की उप-धारा (4) में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य द्वारा प्रपत्र ‘कक’ में दिया गया शपथ-पत्र इस आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया गया है।”;

(vii) फॉर्म एफसी-3ग में, ‘घोषणा और वचनबद्धता’ शीर्षक के अधीन, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12 की उप-धारा (4) में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य द्वारा प्रपत्र ‘कक’ में दिया गया शपथ-पत्र इस आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया गया है।”;

(viii) फॉर्म एफसी-6 ङ. के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;-

“प्रपत्र‘कक’

(नियम 9,12 फार्म एफसी-3क, एफसी-3ख और एफसी-3ग देखें)

[प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य पदधारी और सदस्य द्वारा व्यक्तिश: 10/- रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिया जाए और किसी नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए]

शपथपत्र

मैं, ... (प्रमुख पदधारी/चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक/ पदाधिकारी/मुख्य पदधारी/सदस्य का नाम),............................का पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी ....पहचान प्रमाण के रूप में आधार संख्या/स्थायी खाता संख्या/पासपोर्ट संख्या/मतदाता पहचान पत्र संख्या/ ड्राइविंग लाइसेंस संख्या ....एतद्वारानिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं..(आवेदनकर्ता संगठन का नाम) का मुख्य पदधारी /चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक/ पदाधिकारी/मुख्य पदधारी/सदस्य हूँ (जो लागू हो), जिसका रजिस्ट्रकृत कार्यालय..............................में है और मैंने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों को पढ़ और समझ लिया है और मैं यह पुष्टि करता हूँ कि उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) में निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं।

2. मैं यह भी वचन देता हूँ कि आवेदनकर्ता संगठन या इसके किसी सदस्य या पदाधिकारी या मुख्य पदधारी द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 की धारा 12 की उपधारा (4) के उपबंधों का कोई उल्लंघन, मेरी जानकारी में आएगा उसकी सूचना सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग (विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियमन स्कंध) को दूंगा।

3. मैं यह भी समझता हूँ कि कोई मिथ्या या भ्रामक सूचना देना लागू विधि के अधीन दंडनीय होगा।

स्थान:____________

तारीख: __________

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ... , ऊपर नामित अभिसाक्षी एतद्वारा यह सत्यापित करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी है उपर्युक्त पैरा 1 से 3 में प्रदान की गई सूचनाएं सही हैं और उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

तारीख.......................................माह.............................. वर्ष.................................... को सत्यापित

स्थान:____________

तारीख: __________

अभिसाक्षी"

[फा.सं.II/21022/23(35)/2019-एफसीआरए-III]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 349 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 292 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 966 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2015 और सा.का.नि. 199 (अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा तत्पश्चात संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 659(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, —

(i) in rule 6A, for the words "rupees twenty-five thousand", the words "one lakh rupees" shall be substituted;

(ii) in rule 7, in sub-rule (4), for the words "sixty days", the words "one month" shall be substituted;

(iii) in rule 9, in sub-rule (1), in clause (a), —

(A) after the letters and figure "FC-3A", the words and letters "with an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' appended to these rules" shall be inserted;

(B) after the letters and figure "FC-3B", the words and letters "with an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' appended to these rules" shall be inserted;

(iv) in rule 12, in sub-rule (2), after the letters and figure "FC-3C", the words and letters "with an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' appended to these rules" shall be inserted;

(v) in Form FC-3A, under the heading 'Declaration and Undertaking', after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) I hereby certify that the office bearers and key functionaries and members fulfill all the eligibility criteria laid out in sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' is uploaded with this application form.";

(vi) in Form FC-3B, under the heading 'Declaration and Undertaking', after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) I hereby certify that the office bearers and key functionaries and members fulfill all the eligibility criteria laid out in sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' is uploaded with this application form.";

(vii) in Form FC-3C, under the heading 'Declaration and Undertaking', after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) I hereby certify that the office bearers and key functionaries and members fulfill all the eligibility criteria laid out in sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA'is uploaded with this application form.";

(viii) after Form FC-6E, the following shall be inserted, namely:-

"Proforma 'AA'

(See rules 9, 12, Forms FC-3A, FC-3B and FC-3C)

[To be executed by each office bearer and key functionary and member individually on non-judicial stamp paper of Rs.10/- and attested by a Notary Public or 1st Class Magistrate]

AFFIDAVIT

I, ……….. (name of the Chief Functionary / Chairperson/ President/Secretary/ Chief Executive Officer/ Managing Director/office bearer/key functionary/member), son/daughter/wife of ………………………………., resident of ………………………., having Aadhaar Number /PAN Card Number / Passport Number / Voter Identity Card Number/ Driving Licence Number …………….. as the identity proof, do hereby solemnly affirm on oath that I am the Chief Functionary / Chairperson/ President/Secretary/ Chief Executive Officer/ Managing Director/office bearer/ key functionary/ member (whichever is applicable) of ………………………………………………... (name of the applicant organisation), having its registered office at ………………………………………. , and I have read and understood the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and confirm that all the conditions as stipulated in sub-section (4) of section 12 of the said Act are fulfilled.

2. I also undertake to report to the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division (Foreign Contribution Regulation Act Wing) about any violation of the provisions of sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 by the applicant organisation or any of its members or office bearers or key functionaries that comes to my knowledge.

3. I also understand that submission of any false or misleading information shall be punishable under the applicable law.

Place: ___________

Date:____________

Deponent

VERIFICATION

I, ……………………………., above named deponent do hereby verify that the contents of the aforesaid paragraphs 1 to 3 are true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom.

Verified at ………………………….. on this the ………day of ……………………………

Place: ___________

Date:____________

Deponent".

[F. No. II/21022/23(35)/2019-FCRA-III]

ANIL MALIK, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended *vide* G.S.R. 292 (E), dated the 12th April, 2012, G.S.R. 966(E), dated the 14th December, 2015 and G.S.R. 199(E), dated the 7th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.09.16 16:29:26 +05'30'